

नए डिजाइन के आवेदन दाखिल करने के लिए दस्तावेजों की सूची (ऑनलाइन व ऑफलाइन)

डिजाइन आवेदनों के तेजी से प्रसंस्करण के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत / अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। आवेदकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे डिजाइन नियमों के नियम 3 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल (ई-फाइलिंग) दस्तावेजों की मूल या कागजी प्रति ऐसी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के 15 दिन के भीतर दाखिल करें।

1. निर्धारित प्रारूप में फॉर्म 1 (डिजाइन नियम की द्वितीय सूची के अनुसार)।
2. अभ्यावेदन डिजाइन नियम के नियम 12, 13 और 14 के तहत तैयार किया जाना चाहिए व दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
3. फॉर्म -21 (प्राधिकार की शक्ति / जनरल पावर ऑफ अथॉरिटी) मूल में (यदि पेटेंट एजेंट / अधिवक्ताओं के माध्यम से दाखिल किया गया हो) (अनुसूची- II के अनुसार)

यदि आवेदक जनरल पावर ऑफ अथॉरिटी (जीपीए) की प्रतिलिपि दाखिल करता है, तो उस पर उस डिजाइन आवेदन संख्या का पृष्ठांकन किया जाना चाहिए, जिसके साथ मूल जीपीए दाखिल किया गया है।

4. निर्धारित प्रारूप में फॉर्म -24 (यदि लघु इकाई की प्रस्थिति का दावा किया गया है) (अनुसूची- II के अनुसार)
(क) भारतीय संस्थाओं के मामले में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकरण का साक्ष्य इसके साथ संलग्न होना चाहिए।

(ख) विदेशी संस्थाओं के मामले में, डिजाइन नियम के नियम 42 के अनुरूप, आवेदक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा शपथ पत्र इसके साथ संलग्न होना चाहिए।

5. डिजाइन नियम के नियम 15 के तहत मूल पूर्विकता दस्तावेज।
6. पूर्विकता दस्तावेज की प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवादित प्रति (यदि मूल पूर्विकता दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा अन्य है)
7. मूल समनुदेशन (यदि कन्वेंशन देश में पूर्विकता आवेदन का आवेदक भारतीय आवेदक से भिन्न है)

आवेदक फाइलिंग और अभ्यावेदन पत्र तैयार करने के संबंध में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए निम्न यूआरएल देख सकते हैं।

(i) <http://www.ipindia.gov.in/IPIndiaAdmin/writereaddata/Portal/Images/pdf/General-Info-Reg-of-Industrial-Designs.pdf>

(ii) http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1_30_1_manual-designs-practice-and-procedure.pdf